राज्य के अधिकारियों और कर्मचारियों को प्रशिक्षण लेना अनिवार्य, कैबिनेट ने दी मंजूरी

हर प्रमंडल में बनेगा ट्रेनिंग हब

पटना | हिन्दुस्तान ब्यूरो

काम के बेहतर परिणाम के लिए राज्य के अधिकारियों और कर्मचारियों को प्रशिक्षण लेना अनिवार्य हो गया है। मंगलवार को कैबिनेट ने इस प्रस्ताव को मंजूरी दे दी। इसके तहत 55 वर्ष उम्र तक के सभी कर्मियों को सेवाकाल में तीन सप्ताह से 104 सप्ताह तक का प्रशिक्षण लेना होगा। इसके लिए सभी प्रमंडल में ट्रेनिंग हब बनाया जायेगा।

हरेक वर्ष वेतन बजट का 1.5 प्रतिशत हिस्सा प्रशिक्षण पर खर्च किया जायेगा। राज्यकर्मियों को वेतन भुगतान पर फिलहाल 10795 करोड़ रुपये खर्च होते हैं। सामान्य प्रशासन विभाग के प्रधान सचिव दीपक कुमार ने बताया कि चतुर्थवर्गीय कर्मियों को सेवाकाल में तीन सप्ताह का प्रशिक्षण लेना पड़ेगा। दूसरी ओर बिहार प्रशासनिक सेवा के शीर्षस्थ अधिकारी को सेवाकाल में 104 सप्ताह का प्रशिक्षण लेना होगा। नये कर्मियों को नियुक्ति के तुरंत बाद इंडक्शन ट्रेनिंग दी जायेगी। नयी योजना में विदेशों में भी प्रशिक्षण के लिए भेजा जायेगा। प्रशिक्षण प्रक्रिया की मॉनिटरिंग मुख्य सचिव करेंगे। इसके लिए उनकी अध्यक्षता में स्टेट ट्रेनिंग काउंसिल का गठन होगा। सांसद और विधायकों को भी काउंसिल का सदस्य बनाया जायेगा।

प्रशिक्षण की जरूरत क्यों

सरकार का मानना है कि राज्य में विकास के बदलते परिवेश, उससे उत्पन्न चुनौतीपूर्ण वातावरण और आमजन की सरकार से बढ़ती अपेक्षा की वजह से बिहार प्रशासनिक सेवा के अधिकारियों का कार्य काफी महत्वपूर्ण हो गया है। इन चुनौतियों का सामना करने के लिए अफसरों की कार्यक्षमता, दक्षता और योग्यता की वृद्धि के लिए समय-समय पर प्रशिक्षण दिया जाना आवश्यक है।

बिप्रसे के लिए प्रशिक्षण संस्थान

- बिहार इंस्टीट्यूट ऑफ पब्लिक एडमिनीस्ट्रेशन एण्ड रूरल डेवलपमेन्ट, पटना, ● लाल बहादुर शास्त्री नेशनल एकेडमी ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन, मसूरी
- नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ रूरल डेवलपमेन्ट, हैदराबाद,● यशवन्त राव चह्वाण एकेडमी ऑफ डेवलपमेन्ट एडमिनिस्ट्रेशन, महाराष्ट्र ●
- एक्सएलआरआई स्कूल ऑफ बिजनेस एण्ड ह्यूमन रिसोर्स, जमशेदपुर ● एडमिनिस्ट्रेटिव स्टाफ कॉलेज ऑफ इंडिया, हैदराबाद

प्रशिक्षण के विषय

नेतृत्व का गुण, वित्तीय प्रबंधन, लोक प्रबंधन, सूचना का अधिकार, जन शिकायतों का निपटारा, लोक सेवाओं का अधिकार, परियोजना प्रबंधन, प्रोफेशनल स्किल, स्वास्थ्य और जीवनशैली